भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1760

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं

1760. श्री अरविंद गणपत सावंतः

श्री संजय हरिभाऊ जाधवः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन किन राज्यों, जिलों और कस्बों में किया जा रहा है और उनका ब्यौरा और नाम क्या है;

(ख) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की नीति क्या है और इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं/योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने जबरन भूमि अधिग्रहण या भूमि अधिग्रहण में आपराधिक तत्वों की संलिप्तता जैसी घटनाओं को रोकने के लिए की कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) वर्ष 2014 से आज की तारीख तक सरकार के संज्ञान में कितने मामले आए हैं;

(च) ऐसे मामलों की किस प्रकार जांच की गई और उनका निपटारा किया गया तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) किसानों के हितों की रक्षा और परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठे गए हैं ?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश के सभी व्यवहार्य स्थलों पर पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बना रहा है।

(ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कदम उठाए हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) से (छ) परियोजना डेवलपर्स या व्यक्तिगत लाभार्थी ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा, भूमि राज्य सरकारों का विषय है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राज्य सरकारों से नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि की पहचान करने का भी अनुरोध

करता रहा है। पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में, निजी भूमि की भी पहचान की जा सकती है। तथापि, ऐसे मामलों में उचित और समय पर मुआवजा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि न केवल भूमि अधिग्रहण का शीघ्र निपटान हो सके, बल्कि समयबद्ध तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी सृजित हो सके । राज्य सरकारों से भी ऐसा करने का अनुरोध किया गया है।

अनुलग्नक

'ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1760 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्रियाशील योजनाओं की सूची

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन</th></tr>
<tr><td>क) एक करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सौर की स्थापना करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।</td><td>1. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए सीएफए निम्नानुसार है:
<table>
<tr><th>क्र सं.</th><th>आवासीय खंड का प्रकार</th><th>सीएफए</th><th>सीएफए (विशेष श्रेणी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आवासीय क्षेत्र (रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता का प्रथम 2 किलोवाट पीक या उसका भाग)</td><td>30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आवासीय क्षेत्र (1 किलोवाट पीक की अतिरिक्त आरटीएस क्षमता के साथ या उसके भाग सहित)</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक अतिरिक्त आरटीएस क्षमता)</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td><td>कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं</td></tr>
<tr><td>4</td><td>समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) आदि के लिए 500 किलोवाट पीक तक इलेक्ट्रिक</td><td>18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक</td><td>19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
	व्हिकल चार्जिंग सहित साझा सुविधाओं के लिए (3 किलोवाट पीक प्रति घर की दर से)।
	2. प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में डिस्कॉमों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान शामिल है ताकि उन्हें अनुकूल विनियामक और प्रशासनिक तंत्र बनाने, कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य हासिल करने जैसी गतिविधियों में प्रेरित और मदद की जा सके। प्रोत्साहन, स्थापित आधार क्षमता के 10% से अधिक और 15% से कम की स्थापित बेस क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 5% है; स्थापित आधार क्षमता के 15% से अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए लागू बेंचमार्क लागत का 10% है। 3. आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली (आरटीएस) की स्थापना को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर प्रयास करने के लिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को यूएलबी/पीआरआई के अधिकार क्षेत्र में आवासीय खंड में आरटीएस की प्रत्येक स्थापना के लिए 1000 रुपये की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान भी शामिल है, जिसके लिए उपभोक्ता को सीएफए हस्तांतरित किया जा चुका होता है। 4. इसके अतिरिक्त, देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान किया गया है, जिसमें पीएमएसजी: एमबीवाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक आदर्श सौर गांव को 1 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है।
ङ) विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, स्टैण्ड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना तथा फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित	**घटक-क:** 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: इस योजना के तहत सौर विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)।

योजना/कार्यक्रम	योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन
मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है।	यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है। **घटक-ख:** 14 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। उपलब्ध लाभ: स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में स्टैंड-अलोन सौर पंप की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 50% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ख को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। **घटक-ग:** फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 35 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण। उपलब्ध लाभ: (क) व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण (आईपीएस): सौर पीवी घटक की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाएगी। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सौर पीवी कंपोनेंट की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 50% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। घटक-ग (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। (ख) फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस): एमएनआरई से उपलब्ध 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडरों का सौरीकरण कैपेक्स अथवा रेस्को मोड में किया जा सकता है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में प्रति मेगावाट 1.75 करोड़ रु. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है।

<table>
<tr><th>योजना/कार्यक्रम</th><th>योजना के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन</th></tr>
<tr><td>ग) जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए)।</td><td>
<table>
<tr><th>घटक</th><th>केंद्रीय हिस्सा (100%)</th></tr>
<tr><td>1 लाख जनजातीय और पीवीटीजी परिवारों के लिए 0.3 किलोवाट सौर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान</td><td>50,000 रुपये प्रति परिवार या वास्तविक लागत के अनुसार</td></tr>
<tr><td>सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों के 1500 एमपीसी में प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान (केवल पीएम जनमन घटक के तहत)</td><td>प्रति एमपीसी 1 लाख रु.</td></tr>
<tr><td>ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थानों का सौरीकरण (केवल डीए जेजीयूए घटक के अंतर्गत)</td><td>20 किलोवाट प्रति सार्वजनिक संस्थान की अधिकतम सौर पीवी क्षमता सहित 1 लाख रु. प्रति किलोवाट</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

*****